न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 26/2012/नागौर (2012/00047)

भंवरूराम पुत्र भोजाराम, जाति बंजारा, निवासी सिंघाणी पुलिस थाना नागौर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
2. पुलिस थाना कोतवाली, नागौर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश दिंनाक 09–05–2012 प्रकरण संख्या 2/2012

————

उपस्थितः 1– श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2010 तक वैध था जिसे आगामी अवधि के नवीनीकरण हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर से रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध 2010 में अभियोग संख्या 428/2010 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 आई.पी.सी. में दर्ज होकर न्यायालय सीजेएम नागौर में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशषा की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 16–9–2011 द्वारा अनुज्ञा पत्र निरस्त कर अनुज्ञा पत्र में वर्णित गन एस.बी. एम.एल 7419 को तत्काल संबंधित थाना में जमा कराने के निर्देश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला विचाराधीन होने पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कर अपने निर्णय दिनांक 9–5–2012 से अपील खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश दिनांक 9–5–2012 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–5–2012 की जानकारी अपीलार्थी को अभिभाषक से दिनांक 28–6–2012 को प्राप्त हुई तब उसी दिन सम्पूर्ण दस्तावेजात प्राप्तकर आदेश की नकल प्राप्त कर बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के आवेदन पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपाया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके निस्तारण में लम्बा समय लगेगा। अतः

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यों एवं कानून के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के नाम जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 16/04 को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिय कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय सी.जे.एम नागौर में एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और निर्णय में काफी लम्बा समय लगेगा। अपीलार्थी एक किसान है और अपनी सुरक्षा एवं फसल की रखवाली हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारित किया। अपीलार्थी खेतों में ढाणी बनाकर रहता है जिससे चोर व जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु अपीलार्थी को बन्दूक की आवश्यकता रहती है। पूर्व में भी अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण होता आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है मात्र संभावना के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा आदेश दिनांक 9–5–2012 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित ओश दिनांक 9–5–2012 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2011 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र क्रमांक 16/04 को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 2010 में अभियोग संख्या 428/2010 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 आई.पी.सी. में दर्ज होकर न्यायालय सी.जे.एम नागौर में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशषा की है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1 (13)गृह–9/2006 दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8.1 में यह प्रावधित किया गया है कि किसी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध काई आपराधिक मामला विचाराधीन होने की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इन्तजार नहीं करके अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी की अपील दिनांक 9–5–2012 द्वारा खारिज करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनाक 16–9–2011 यथावत रखा है जो विधिसम्मत है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 9–5–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली से रिपोर्ट दिनांक

19–6–2011 में अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 2010 में अभियोग संख्या 428/2010 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 आई.पी.सी. में दर्ज होकर न्यायालय सीजेएम नागौर में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशषा की है जिसके आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–9–2011 द्वारा अनुज्ञा पत्र संख्या 16/2004 आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञा पत्र में वर्णित गन एस.बी. एम.एल 7419 को तत्काल संबंधित थाना में जमा कराने के निर्देश प्रदान कर दिये। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि गंभीर प्रकृति के अपराधिक मामला दर्ज होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मारपीट की छोटी सी घटना से भी कई बार रंजिश उत्पन्न हो जाती है तथा मारपीट की घटना भी किसी न किसी रूप में उग्रता को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण जैर ट्रायल होने के आधार पर लोक शांति की सुरक्षा या लोकक्षेम के विपरीत प्रभाव पड़ने को मध्यनजर रखते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त कर संबंधित थाना में जमा कराने का आदेश पारित किया गया है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 9–5–2012 द्वारा विधिसम्मत मानते हुए आदेश दिनांक 16–9–2011 को यथावत रखा है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 9–5–2012 अपील संख्या 2/2012 बउनवान भंवरूराम बनाम सरकार एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर